



उ०प्र०विशेष सुरक्षा बल मुख्यालय एट 32वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ।

Email: ssfhq@uppac.net

पत्र संख्या-यूपीएसएसएफ-प्रतिनियुक्ति निरस्त-2024/1617

दिनांक: ^{मार्च} फरवरी 07, 2024

आदेश

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक(कार्मिक), उ०प्र०, लखनऊ के आदेश संख्या: डीजी-चार-स्था०(139)/2024/436 दिनांक 27.02.2024 द्वारा रिट याचिका संख्या: 962/2024 आरक्षी रविन्द सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 09.02.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में आरक्षी 182284289 नागरिक पुलिस रविन्द सिंह, 04वीं वाहिनी वि०सु०ब०, मथुरा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये, उक्त कर्मी द्वारा स्वयं के कंधे का लीगामेन्ट फैंक्चर होने के कारण अपना उपचार एवं वृद्ध माता-पिता के बीमार रहने के कारण उनका उपचार कराये जाने के दृष्टिगत विशेष परिस्थितियों में, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के आदेश संख्या: डीजी-चार-स्था०-(577)/2022/978 दिनांक 08.12.2022 द्वारा आरक्षी ना०पु०/182284289 रविन्द सिंह का जनपद फिरोजाबाद से उ०प्र० उ०प्र० विशेष सुरक्षा बल मुख्यालय, लखनऊ में हुये, 03वर्ष के प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण आदेश को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है:-

क्र०सं०	पद	पीएनओ	नाम	एसएसएफ वाहिनी का नाम	मूललियन
1	2	3	4	5	6
2	आ०ना०पु०	182284289	रविन्द सिंह	04वीं वाहिनी विशेष सुरक्षा बल मथुरा	फिरोजाबाद

अतः पुलिस उपमहानिरीक्षक (कार्मिक), उ०प्र०, लखनऊ के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आरक्षी के सम्मुख कालम-06 में अंकित मूल लियन से विशेष सुरक्षा बल की वाहिनी में किए गए स्थानान्तरण/आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है। यह आदेश कार्यवृत्त संख्या यूपीएसएसएफ-प्रतिनियुक्ति निरस्त-2024 दिनांक ~~11-03~~ 06-03-2024 में लिए गए निर्णय के उपरान्त जारी किया जा रहा है।

(शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव)

उपसेनानायक

कृते अपर पुलिस महानिदेशक
उ०प्र० विशेष सुरक्षा बल, लखनऊ।

प्रतिलिपि: अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ०प्र० को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

2- पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

3- प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय, उ०प्र, लखनऊ को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4- सेनानायक, 04वीं, वाहिनी विशेष सुरक्षा बल, मथुरा को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि संबंधित कर्मी को उनके मूल लियन तत्काल वापस करते हुए इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

A

07/03